2018 का विधेयक संख्यांक 45

[दि स्किल (ट्रेनिंग एंड एजुकेशन) बिल, 2018 का हिन्दी रूपांतर]

श्रीमती सुप्रिया सुले, संसद सदस्य

का

कौशल (प्रशिक्षण और शिक्षा) विधेयक, 2018

व्यक्तियों जिनमें भूतपूर्व सैनिक भी शामिल होंगे, को सेवानिवृत्ति-पश्चात् नए कौशल सीखने और नियोजन प्राप्त करने की योग्यता प्राप्त करने में समर्थ बनाने के लिए कौशल प्रशिक्षण तथा कौशल शिक्षा को भी विद्यालय और महाविद्यालय पाठ्यचर्या के अनिवार्य भाग के रूप में शामिल करने के लिए और तत्संसक्त या उसके आनुषंगिक विषयों का उपबंध करने के लिए

विधेयक

भारत गणराज्य के उनहत्तरवें वर्ष में संसद द्वारा निम्नलिखित रूप में यह अधिनियमित हो:—

संक्षिप्त नाम, विस्तार और प्रारंभ।

1. (*1*) इस अधिनियम का संक्षिप्त नाम कौशल (प्रशिक्षण और शिक्षा) अधिनियम, 2018 है।

(*2*) इसका विस्तार जम्मू-कश्मीर राज्य के सिवाय संपूर्ण भारत पर होगा।

(*3*) यह उस तारीख को प्रवृत्त होगा जो केन्द्रीय सरकार, राजपत्र में अधिसूचना द्वारा नियत करे।

परिभाषाएं।

2. इस अधिनियम में, जब तक कि संदर्भ से अन्यथा अपेक्षित न हो,—

(क) ''समुचित सरकार'' से किसी राज्य के मामले में, उस राज्य की सरकार तथा अन्य सभी मामलों में केन्द्रीय सरकार अभिप्रेत है;

(ख) ''भूतपूर्व सैनिक'' से कोई व्यक्ति जो सशस्त्र बलों का अंग रहा है, अभिप्रेत है;

(ग) ''इंटर्नशिप मॉड्यूल'' से कोई विद्यार्थी या प्रशिक्षणार्थी की स्थिति अभिप्रेत है जो कार्य अनुभव प्राप्त करने के लिए या किसी अर्हता के लिए अपेक्षाएं पूरी करने के लिए किसी संगठन में कभी-कभी अवैतनिक कार्य करता है;

(घ) ''नौकरी मेला'' से कोई कार्यक्रम जहां नियोक्ता, भर्तीकर्ता और स्कूल संभावित कर्मचारियों को जानकारी देते हैं, अभिप्रेत है;

(ङ) ''विहित'' से इस अधिनियम के अंतर्गत बनाए गए नियमों द्वारा विहित अभिप्रेत है; और

(च) ''निर्वाह'' से आजीविका के लिए अपेक्षित न्यूनतम मजदूरी अभिप्रेत है।

समुचित सरकार कौशल प्रशिक्षण केन्द्रों की स्थापना करेगी।

3. (*1*) समुचित सरकार राजपत्र में अधिसूचना द्वारा व्यक्तियों को सेवानिवृत्ति-पश्चात् उनके निर्वाह हेतु रोजगार प्राप्त करने में उनकी सहायता करने के लिए कौशल प्रशिक्षण देने के लिए प्रत्येक राज्य और संघ राज्यक्षेत्र में प्रशिक्षण केन्द्रों की स्थापना करेगी।

(*2*) केन्द्रीय सरकार और राज्य सरकारें प्रशिक्षण केन्द्रों के वित्त पोषण के लिए ऐसे अनुपात में जो विहित की जाए, अंशदान करेगी।

(*3*) समुचित सरकार व्यक्तियों को कुशल कार्यबल की मांग पर आधारित आवश्यक प्रशिक्षण विकल्प उपलब्ध कराएगी।

प्रशिक्षण केन्द्र आवास, भोजन और उपकरण उपलब्ध कराएंगे।

4. धारा 3 के अधीन स्थापित प्रत्येक प्रशिक्षण केन्द्र निम्नलिखित उपलब्ध कराएगा—

(क) सभी प्रशिक्षणार्थियों को आवास सुविधाएं;

(ख) पोषक भोजन; और

(ग) कौशल प्रशिक्षण के लिए अपेक्षित उपकरण।

समुचित सरकार कुशल व्यक्तियों को नौकरी उपलब्धता सुनिश्चित करेगी।

5. (*1*) समुचित सरकार प्रशिक्षण पूरा होने के पश्चात्, कुशल व्यक्तियों को नौकरी उपलब्धता सुनिश्चित करेगी।

(*2*) उपधारा (*1*) के प्रयोजनार्थ, समुचित सरकार निम्नलिखित कार्य करेगी:—

(क) प्रत्येक राज्य में रोजगार मेला आयोजित करेगी;

(ख) इंटर्नशिप मॉड्यूल आरम्भ करेगी; और

(ग) प्रशिक्षणार्थियों के लिए मूल्यांकन और काउंसलिंग सत्र आयोजित करेगी।

भूतपूर्व सैनिकों के पक्ष में आरक्षण।

6. समुचित सरकार भूतपूर्व सैनिकों के पक्ष में निम्नलिखित आरक्षित करेगी:—

(क) प्रत्येक प्रशिक्षण केन्द्र में सीटों का 20 प्रतिशत; और

(ख) राज्य के अधीन नौकरियों में पांच प्रतिशत।

समुचित सरकार स्कूलों और कॉलेजों में अनिवार्य कौशल शिक्षा उपलब्ध कराएगी।

7. (*1*) समुचित सरकार विद्यार्थियों को मूलभूत कौशल प्रशिक्षण प्रदान करने के लिए कौशल शिक्षा को स्कूल और कॉलेज पाठ्यचर्या का अनिवार्य अंग बनाएगी।

(*2*) समुचित सरकार उन विद्यार्थियों, जो दिए गए विकल्पों में विशेष कौशल सेट में किसी एक को सीखने के लिए चुन सकते हैं, को दिए जाने वाले कौशल प्रशिक्षण के लिए विकल्प उपलब्ध कराएगी।

8. इस अधिनियम के उपबंध कौशल शिक्षा और प्रशिक्षण या इस अधिनियम से इतर किसी कानून की विशेषता द्वारा प्रभावकारी किसी उपकरण के संबंध में तत्समय प्रवृत्त किसी अन्य विधि में अंतर्विष्ट किसी बात के होते हुए भी प्रभावी होंगे। अधिनियम का अध्यारोही प्रभाव।

9. इस अधिनियम के उपबंध तत्समय प्रवृत्त किसी अन्य विधि के किसी उपबंध के अतिरिक्त होंगे, न कि उनके अल्पीकरण में। अधिनियम का किसी अन्य विधि के अल्पीकरण में न होना।

10. (*1*) समुचित सरकार इस अधिनियम के प्रयोजनों को क्रियान्वित करने के लिए राजपत्र में अधिसूचना द्वारा नियम बना सकेगी। नियम बनाने की शक्ति।

(*2*) केन्द्रीय सरकार द्वारा इस अधिनियम के अधीन बनाया गया प्रत्येक नियम उसके बनाए जाने के पश्चात् यथाशीघ्र, संसद की प्रत्येक सभा के समक्ष, जब वह सत्र में हो, कुल तीस दिन की अवधि के लिए रखा जाएगा जो एक सत्र में अथवा दो या अधिक आनुक्रमिक सत्रों में पूरी हो सकेगी और यदि पूर्वोक्त सत्र अथवा आनुक्रमिक सत्रों के ठीक बाद के सत्र के अवसान से पूर्व दोनों सभा उस नियम में कोई परिवर्तन अथवा उसे बातिल करने के लिए सहमत हो जाएं तो तत्पश्चात् यथास्थिति वह ऐसे परिवर्तित रूप में ही प्रभावी होगा अथवा निष्प्रभावी होगा, किन्तु उस नियम के ऐसे परिवर्तित या निष्प्रभावी होने से उसके अधीन पहले की गई किसी बात की विधिमान्यता पर कोई प्रतिकूल प्रभाव नहीं पड़ेगा।

(*3*) इस अधिनियम के अधीन राज्य सरकार द्वारा बनाया गया प्रत्येक नियम, उसके बनाए जाने के पश्चात् यथाशीघ्र राज्य विधानमंडल के समक्ष रखा जाएगा।

उद्देश्यों और कारणों का कथन

भारत में चीन के बाद विश्व में सबसे अधिक संख्या में श्रमिक बल है। श्रमिक उपलब्धता के और बढ़ने की संभावना है क्योंकि ऐसा अनुमान है कि भारत 2020 तक 29 वर्ष की औसत आयु वाला विश्व का सबसे युवा देश होगा। तथापि 2014 की श्रमिक ब्यूरो रिपोर्ट में भारत में कुशल कार्यबल दो प्रतिशत होने की बात कही गयी थी।

सरकार ने कौशल भारत कार्यक्रम के अंतर्गत विभिन्न उद्योग संबंधी कौशलों में व्यक्तियों को प्रशिक्षित करने के लिए पिछले कुछ वर्षों में कई पहलें की हैं। तथापि, इनमें से अधिकतर कार्यक्रम युवा बेरोजगार नागरिकों या कॉलेज शिक्षा बीच में छोड़ देने वालों को लक्षित करते हैं, परंतु 40 से 60 वर्ष के बीच के उम्र समूह, जो इस उम्र तक अपने पूर्ववर्ती रोजगार से सेवानिवृत्त होने के बाद सामान्यतया बेराजगार हैं; की जनसंख्या के लगभग 20. को नजरअंदाज करते हैं। उनमें कार्य करने की क्षमता तथा महत्वपूर्ण योगदान करने की क्षमता है पर वे किसी नयी नौकरी के लिए अपेक्षित कौशल की कमी के कारण पीछे रह जाते हैं। यदि उन्हें प्रशिक्षित किया जाए, तो वे भारत के कुशल कार्यबल को प्रोत्साहित करने में योगदान कर सकते हैं।

तथापि सबसे महत्वपूर्ण परिवर्तन तो सांस्कृतिक स्तर पर लाए जाने की जरूरत है। कौशल प्रशिक्षण को कम बेहतर विकल्प के रूप में लिए जाने के बजाए मुख्यधारा की शिक्षा के पूरक अंग के रूप में देखा जाना चाहिए। इसलिए दी जा रही पाठ्यचर्या एवं शिक्षा प्रणाली को भी संशोधित किए जाने की जरूरत है तथा स्कूलों और कॉलेजों में अनिवार्य विषय के रूप में छात्रों को कौशल प्रशिक्षण देना शामिल किया जाना चाहिए।

यद्यपि प्रत्येक नागरिक को स्वयं के स्तर पर बेरोजगारी की समस्या से जूझना पड़ता है और तेजी से बदलते समाज के तनाव का सामना करना होता है तो भी भूतपूर्व सैनिक इसे कई कारणों से बेहद कष्टदायी महसूस करते हैं। उनकी समस्याएं बेहद विचित्र और विशिष्ट हो जाती हैं क्योंकि उन्हें ऐसी उम्र में नौकरी छोड़नी पड़ती है जब एक भूतपूर्व सैनिक की सामाजिक जिम्मेदारियां अपने चरम पर होती हैं। वह नौकरी से तब बाहर हो जाता है जब उसके बच्चे बड़े हो रहे होते हैं या स्कूल में होते हैं। उनकी आय, लाभ और विशेषाधिकार ऐसे समय में न्यूनतम हो जाते हैं जब उन्हें इनसे अधिकतम की अपेक्षा होती है। उद्यमी कौशल की कमी और व्यवसाय/कॉर्पोरेट विश्व की जानकारी न होने से उसे अपने परिवार को सहयोग देने के लिए दूसरी नौकरी प्राप्त करने में कठिनाई होती है।

कुशल पेशे के माध्यम से लाभप्रद रोजगारपन को सही मायने में परिवर्तन लाने के लिए इसकी जायज आदरशीलता और अवसर को देखते हुए व्यापक भारतीय लोगों द्वारा अपनाए जाने की जरूरत है।

अत: यह विधेयक प्रस्तुत है।

नई दिल्ली;
15 जनवरी, 2018
25 पौष, 1939 (शक)

सुप्रिया सुले

वित्तीय ज्ञापन

विधेयक के खण्ड 3 में व्यक्तियों को कौशल प्रशिक्षण देने के लिए प्रत्येक राज्य में प्रशिक्षण केन्द्र की स्थापना किए जाने का उपबंध किया गया है। खण्ड 4 में प्रशिक्षण केन्द्रों में व्यक्तियों के लिए नि:शुल्क छात्रावास, भोजन और उपकरण सुविधाएं उपलब्ध कराए जाने का उपबंध है। खण्ड 5 में नौकरी मेला, इंटर्नशिप मॉड्यूल, एवं मूल्यांकन तथा काउंसलिंग सत्र आयोजित करने का उपबंध किया गया है। खण्ड 6 में राज्य के कौशल प्रशिक्षण केन्द्रों और नौकरियों में भूतपूर्व सैनिकों के लिए आरक्षण का उपबंध किया गया है। अत: इस विधेयक के अधिनियमित हो जाने पर भारत की संचित निधि में से व्यय किया जाएगा। इस पर प्रति वर्ष एक हजार करोड़ रुपए का आवर्ती व्यय होने का अनुमान है।

इस पर प्रतिवर्ष एक हजार करोड़ रुपए का अनावर्ती व्यय होने की भी संभावना है।

प्रत्यायोजित विधान संबंधी ज्ञापन

विधेयक के खंड 10 में केन्द्रीय सरकार को इस विधेयक के उपबंधों को कार्यान्वित करने के लिए नियम बनाने की शक्तियां प्रदान की गई हैं। चूंकि ये नियम केवल ब्यौरे से संबंधित होंगे, इसलिए विधायी शक्ति का प्रत्यायोजन सामान्य प्रकार का है।

लोक सभा

———

व्यक्तियों जिनमें भूतपूर्व सैनिक भी शामिल होंगे, को सेवानिवृत्ति-पश्चात् नए कौशल सीखने और नियोजन प्राप्त करने की योग्यता प्राप्त करने में समर्थ बनाने के लिए कौशल प्रशिक्षण तथा कौशल शिक्षा को भी विद्यालय और महाविद्यालय पाठ्यचर्या के अनिवार्य भाग के रूप में शामिल करने के लिए और तत्संसक्त या उसके आनुषंगिक विषयों का उपबंध करने के लिए

विधेयक

———

(श्रीमती सुप्रिया सुले, संसद सदस्य)

MGIPMRND—4287LS(S3)—01-03-2018.